# झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

## एल.पी.ए. सं० - 390/2018

---

श्रीमती कुंती देवी उम्र करीब 75 वर्ष पति स्वर्गीय बालेंदु प्रसाद शर्मा

**2.** रामनिवाश उम्र करीब 52 वर्ष

**3.** श्रीकांत भारद्वाज उम्र करीब 43 वर्ष

दोनों (क्रमांक 2 व 3) पिता स्वर्गीय बालेंदु प्रसाद शर्मा

**4.** श्रीमती प्रियंका भारद्वाज उम्र लगभग 26 वर्ष पति स्व. दयानंद भारद्वाज, (जिनका निधन 12.06.2018 को हुआ अर्थात सिविल रिट याचिका संख्या 135/2011 के निपटारे के पश्चात।

**4(ए).** सुर्यान्त भारद्वाज, उम्र 5 वर्ष, नाबालिग, पिता स्व. दयानंद भारद्वाज, उनकी माता एवं प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती प्रियंका भारद्वाज के माध्यम से।

सभी निवासी हेहल (पावाटोली), डाकघर - हेहल, थाना - सुखदेवनगर, जिला - रांची, पिन - 834005।

**5.** श्रीमती मनोरमा चंद्रा, पति आभाष चंद्रा, निवासी - लैंड्स फोर्ट, जिला स्टेडियम के पास, सिविल लाइन, चंद्रपुर, डाकघर+थाना - चंद्रपुर, जिला - चंद्रपुर (महाराष्ट्र), पिन-442401। ..... **अपीलकर्ता**

**-बनाम-**

झारखंड राज्य

1. प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल रांची।

2. उपायुक्त, राँची।

3. विशेष पदाधिकारी एस.ए.आर., रांची, रांची समाहरणालय डाकघर - जी.पी.ओ. राँची, थाना - कोतवाली, राँची, जिला - रांची, पिन 834001.

4(i). विकाश उराँव @ विकाश तिर्की।

4(ii). मनोज तिर्की

4(iii). अमित तिर्की

5(ए) करमा उराँव @ करमा तिर्की

5(बी). शनिचरवा तिर्की

6.(ए)दिनेश उराँव.

सभी संख्या 4 से 6 हेहल के निवासी, डाकघर - हेहल, थाना - सुखदेवनगर, जिला - रांची, पिन -834005। ..... **प्रतिवादी**

---

**कोरम :माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान सुजीत नारायण प्रसाद**

**माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान नवनीत कुमार**

---

अपीलकर्ता के लिए: श्री सुरेश नंद तिवारी, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए: श्री भैया विश्वजीत कुमार, अधिवक्ता

श्री मनोज कुमार चौबे, अधिवक्ता

श्री माधव प्रसाद, अधिवक्ता

---

**निर्णय/जजमेंट**

**सी.ए.वी. दिनांक 06.12.2023** **घोषित 21.12.2023**

**न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद**

**1.** लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत प्रस्तुत तत्काल अंतर-न्यायालय अपील, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 135/2011 में दिनांक 06.04.2018 को पारित आदेश/निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके तहत विशेष अधिकारी अनुसूचित क्षेत्र विनियमन, रांची द्वारा एस.ए.आर. मामला संख्या 243/1990-91 में दिनांक 11.07.1996 को पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी, जिसके तहत आर.एस. के हिस्से से संबंधित 44 कट्ठा भूमि क्षेत्र की बहाली की गई थी। प्लाट संख्या 191, खाता संख्या 34 के अंतर्गत ग्राम हेहल, थाना संख्या 203 रांची, थाना सुखदेवनगर, जिला रांची को निजी प्रतिवादी 4 से 8 को वापस करने का आदेश दिया गया है, साथ ही उप आयुक्त, रांची द्वारा एस.ए.आर. अपील संख्या 47 आर 15/1996-97/डीसीटीआर 314 आर 15 ऑफ 1996-97 में पारित आदेश दिनांक 12.09.1997 को रद्द करने और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रांची राजस्व पुनरीक्षण संख्या 323 ऑफ 1997 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2010 को रद्द करने के साथ ही रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है।

**2.** रिट कार्यवाही में की गई दलीलों के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य, जिन्हें यहां सूचीबद्ध किया जाना आवश्यक है, निम्नानुसार हैं:-

इस मामले में शामिल संपत्ति मूल रूप से मोस्ट के नाम पर दर्ज थी। मृतक मंगरू उरांव के एकमात्र पारिवारिक उत्तराधिकारी सुकरो पति स्व. मंगरू उरांव थे। उक्त दर्ज काश्तकार की निःसंतान मृत्यु हो गई तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त संपत्ति बंजर/परित्यक्त रह गई, तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 23 के प्रावधानों के तहत रैयती हित का अधिकार गांव के जमींदार को हस्तांतरित हो गया। तदनुसार, जमींदार ने उक्त संपत्ति को पुनः प्राप्त कर लिया तथा उस पर कब्ज़ा कर लिया और 23.12.1942 को परमेश्वर मिसिर के साथ सदा दस्तावेज़ द्वारा समझौता किया गया।

**3.** परमेश्वर मिसिर उस संपत्ति पर काबिज रहे और जमींदार को भू-राजस्व का भुगतान किया तथा इस संपत्ति का उल्लेख बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार जमींदार द्वारा संपत्ति प्राप्त करने पर दाखिल रिटर्न में भी किया गया।

**4.** परमेश्वर मिसिर ने वर्ष 1946-47 में भूमि पर पर्याप्त निर्माण किया था और उन्होंने 04.01.1966 को मूल रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में 44 कट्ठा भूमि के हस्तांतरण के लिए एक समझौता किया और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 ए के प्रावधान के अनुसार मूल रिट याचिकाकर्ता को उक्त भूमि पर कब्जा दे दिया।

**5.** मूल रिट याचिकाकर्ता ने उक्त समझौते के आधार पर और अपने कब्जे के प्रयोग में उक्त संपत्ति पर एक औद्योगिक इकाई स्थापित की है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार निर्मित संपत्ति का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक है। इसके बाद, उक्त परमेश्वर मिसिर द्वारा वर्ष 1984 और 1988 के दो पंजीकृत बिक्री विलेखों के माध्यम से संपत्ति मूल रिट याचिकाकर्ता को हस्तांतरित कर दी गई।

**6.** निजी प्रतिवादियों द्वारा दायर एक आवेदन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 71ए के तहत विशेष अधिकारी एसएआर, रांची द्वारा एसएआर मामला संख्या 243/1991 शुरू किया गया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार निजी प्रतिवादियों का दर्ज किरायेदार से कोई संबंध नहीं है।

**7.** मूल रिट याचिकाकर्ता ने विशेष अधिकारी, रांची के समक्ष कई दस्तावेज दाखिल किए, जिनका उल्लेख एस.ए.आर अधिकारी, रांची द्वारा पारित आदेश में किया गया है, जिसमें जमींदार द्वारा परमेश्वर मिसिर के पक्ष में बंदोबस्त से संबंधित दस्तावेज और जमींदार द्वारा जारी किराया रसीद शामिल है। उक्त प्राधिकारी के समक्ष समझौता भी दाखिल किया गया था। हालांकि, विशेष अधिकारी, रांची ने मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर कारण बताओ नोटिस को खारिज कर दिया और निजी प्रतिवादियों को उक्त भूमि की बहाली के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 71 ए के प्रावधान के तहत आवेदन को स्वीकार कर लिया।

**8.** भूमि की बहाली के आदेश के विरुद्ध मूल रिट याचिकाकर्ता ने उपायुक्त, रांची के समक्ष एस.ए.आर. अपील संख्या 47 आर 15/1996-97/डीसीटीआर 314 आर 15/1996-97 के तहत अपील दायर की थी, जिसे दिनांक 12.09.1997 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था और तत्पश्चात पुनरीक्षण प्राधिकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसे दिनांक 20.12.2010 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

**9.** उपरोक्त आदेशों से व्यथित होकर, रिट याचिका(सी) संख्या 135/2011 इस आधार पर दायर की गई है कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, उन पर अधिकारियों द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया गया और न ही उनका मूल्यांकन किया गया।

**10.** आगे यह आधार लिया गया है कि निजी प्रतिवादियों को वर्ष 1942 में ही बेदखल कर दिया गया था और तदनुसार, एस.ए.आर न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दायर भूमि की बहाली के लिए याचिका स्वयं समय सीमा पार कर चुकी थी।

**11.** विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष यह भी तर्क दिया गया है कि इस मामले में शामिल संपत्ति रांची नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 रांची नगरपालिका क्षेत्र में 1982 से लागू है और चूंकि निजी प्रतिवादियों को वर्ष 1942 में ही संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था, इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

**12.** विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 06.04.2018 के आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसे इस अंतर-न्यायालय अपील में चुनौती दी गई है।

**13.** तथ्यात्मक पहलू से यह प्रतीत होता है कि इस मामले में शामिल संपत्ति मूल रूप से मंगरू उरांव की पत्नी मो. सुकरो के नाम पर दर्ज थी, जो मृतक मंगरू उरांव की एकमात्र पारिवारिक उत्तराधिकारी थी। उक्त दर्ज काश्तकार की निःसंतान मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उक्त संपत्ति पर खेती नहीं की गई/परित्यक्त रह गई और इस प्रकार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 23 के प्रावधानों के तहत रैयती हित का अधिकार गांव के जमींदार को हस्तांतरित हो गया। तदनुसार, जमींदार ने उक्त संपत्ति को पुनः प्राप्त कर लिया और कब्जा कर लिया और 23.12.1942 को परमेश्वर मिसिर के साथ सदा दस्तावेज द्वारा समझौता किया गया।

**14.** परमेश्वर मिसिर उस संपत्ति पर काबिज रहे और जमींदार को भू-राजस्व का भुगतान किया। उन्होंने वर्ष 1946-47 में भूमि पर पर्याप्त निर्माण किया था और उन्होंने 04.01.1966 को मूल रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में 44 कट्ठा भूमि के हस्तांतरण के लिए एक समझौता किया और मूल रिट याचिकाकर्ता को उक्त भूमि पर कब्जा दिलाया। मूल रिट याचिकाकर्ता ने उक्त समझौते के आधार पर उक्त संपत्ति पर एक औद्योगिक इकाई स्थापित की है। इसके बाद, उक्त परमेश्वर मिसिर द्वारा वर्ष 1984 और 1988 के दो पंजीकृत बिक्री विलेखों के माध्यम से संपत्ति मूल रिट याचिकाकर्ता को हस्तांतरित कर दी गई।

**15.** निजी प्रतिवादियों द्वारा दायर आवेदन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 71ए के अंतर्गत विशेष अधिकारी एस.ए.आर., रांची द्वारा एस.ए.आर. मामला संख्या 243/1991 शुरू किया गया था।

**16.** याचिकाकर्ताओं के अनुसार निजी प्रतिवादी का दर्ज किरायेदार से कोई संबंध नहीं है। विशेष अधिकारी, रांची ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 71 ए के प्रावधान के तहत निजी प्रतिवादियों को उक्त भूमि की बहाली के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया।

**17.** भूमि की बहाली के आदेश के विरुद्ध मूल रिट याचिकाकर्ता ने उपायुक्त, रांची के समक्ष एस.ए.आर. अपील संख्या 47 आर 15/1996-97/डीसीटीआर 314 आर 15/1996-

97 के तहत अपील दायर की थी, जिसे दिनांक 12.09.1997 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था और तत्पश्चात पुनरीक्षण प्राधिकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी, जिसे दिनांक 20.12.2010 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

**18.** उपरोक्त आदेशों से व्यथित होकर, रिट याचिका(सी) संख्या 135/2011 दायर की गई है, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 06.04.2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसे इस अंतर-न्यायालय अपील में चुनौती दी गई है।

**19.** रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री सुरेश नंद तिवारी ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का विरोध करते हुए निम्नलिखित आधार लिए हैं:-

I. उक्त दर्ज काश्तकार की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उक्त संपत्ति असिंचित/परित्यक्त रह गई और इस प्रकार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 23 के प्रावधानों के तहत रैयती हित का अधिकार गांव के भू-स्वामी को हस्तांतरित हो गया।

II. तदनुसार, भूस्वामी ने उक्त संपत्ति को पुनः प्राप्त कर लिया और उस पर कब्ज़ा कर लिया और 23.12.1942 को परमेश्वर मिसिर के साथ सदा दस्तावेज़ द्वारा समझौता किया गया।

III. यहां निजी प्रतिवादियों को वर्ष 1942 में ही बेदखल कर दिया गया था और तदनुसार, एस.ए.आर न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दायर भूमि की बहाली के लिए याचिका स्वयं समय सीमा पार कर चुकी थी।

IV. इस मामले में शामिल संपत्ति रांची के नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 रांची के नगरपालिका क्षेत्र में 1982 से लागू है। चूंकि निजी प्रतिवादियों को वर्ष 1942 में ही संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था, इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की प्रयोज्यता का कोई सवाल ही नहीं था।

V. यह एक ऐसा मामला है जिसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 23 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए निपटाया जाना आवश्यक था, जिसमें रैयत की बिना वसीयत के मृत्यु हो गई है और इसलिए, बिना वसीयत के मृत्यु के कारण रैयत का अधिभोग अधिकार जमींदार में निहित हो गया है।

**20.** इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील ने निम्नलिखित आधार लिए हैं:-

I. एस.ए.आर. अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 11.07.1996 के आदेश का हवाला देते हुए, प्रतिवादियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए दस्तावेजों में तत्कालीन ज़मींदार द्वारा परमेश्वर मिसिर के साथ भूमि का एक सादा बंदोबस्त और तत्कालीन ज़मींदार के माध्यम से एक किराया रसीद शामिल है, जिसमें लीज़ एग्रीमेंट (सादा) नामक एक दस्तावेज़ शामिल है। हालांकि, इन सभी दस्तावेजों पर विचार करने के बाद एस.ए.आर. अधिकारी ने विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किए कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए दस्तावेज़ वास्तविक नहीं थे और याचिकाकर्ता उन दस्तावेजों को साबित नहीं कर सका और इसके अलावा, यहाँ प्रतिवादी दर्ज रैयत के वंशज हैं और दर्ज भी हैं।

II. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की सराहना करने के बाद, अपीलीय प्राधिकारी ने विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि मोस्ट. सुकरो निजी प्रतिवादी के पूर्ववर्ती थे और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि विचाराधीन भूमि कभी पूर्व मध्यस्थ द्वारा पुनः प्राप्त की गई थी और तदनुसार मूल रिट याचिकाकर्ता के मामले को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी पूरी तरह से अविश्वासित किया गया था।

III. पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा 1980 से पहले की अवधि से संबंधित कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है और तदनुसार प्राधिकरण ने माना कि समय बीत जाने के कारण भूमि की बहाली के आवेदन का कोई सवाल ही नहीं था।

IV. मूल रिट याचिकाकर्ता तीनों प्राधिकारियों के समक्ष हार चुका है और रिट क्षेत्राधिकार में किसी भी हस्तक्षेप के लिए आरोपित आदेशों में कोई अवैधता और विकृति नहीं है।

V. याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में नई दलील दी है और आगे एक नया मामला बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें एक जवाब दाखिल किया गया है और विभिन्न दलीलें और दस्तावेज पेश किए गए हैं, जिन्हें कभी भी अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं किया गया था और मूल याचिकाकर्ता द्वारा तीन अधिकारियों के समक्ष हार जाने के बाद रिट कोर्ट में पहली बार ऐसी दलील या दस्तावेजों की सराहना नहीं की जा सकती है।

VI. जहां तक याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम, 1908 की धारा 23 के तहत निहित प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है, यह स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इस पर विशेष अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा चुका है, जिसमें यह निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि रैयत की मृत्यु के कारण भूमि को भूस्वामी को सौंपने से पहले जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है, वह यह है कि उपायुक्त को नोटिस जारी करना आवश्यक है। लेकिन, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि कभी भी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

VII. रिट याचिकाकर्ता ने स्वयं यह आधार लिया है कि रैयत की मृत्यु बिना वसीयत के हुई थी, जिसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि निजी प्रतिवादी, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 4 से 6, रैयत के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने अधिनियम, 1908 की धारा 71ए के तहत बहाली आवेदन दायर किया है।

**21.** हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा विवादित आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष का अवलोकन किया है।

**22.** पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, यह न्यायालय अब पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों और प्रासंगिक दस्तावेजों तथा राजस्व अधिकारियों और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के आधार पर आरोपित आदेश की वैधता और औचित्य की जांच करने जा रहा है।

**23.** उपर्युक्त मुद्दे पर विचार करने से पहले, चूंकि यह मुद्दा झारखंड राज्य में लागू किरायेदारी कानून से संबंधित है, जो छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम, 1908 द्वारा शासित है और इस प्रकार अधिनियम, 1908 के उद्देश्य और इरादे का उल्लेख करना आवश्यक है।

**24.** छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908, एक भूमि अधिकार कानून है जिसे अंग्रेजों द्वारा झारखंड की आदिवासी आबादी के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। सी.एन.टी. अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह है कि यह सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए गैर-आदिवासियों को भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाता है। उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल के

क्षेत्र सी.एन.टी. अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं। यह अधिनियम संविधान की 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है।

**25.** आदिवासी भूमि की खरीद-बिक्री सी.एन.टी. अधिनियम की धारा 46 के प्रावधान (ए) (बी) और 49 के प्रावधानों द्वारा विनियमित होती है। सी.एन.टी. अधिनियम की धारा 46 के प्रावधान (ए) के अनुसार आदिवासी भूमि का हस्तांतरण किसी अन्य आदिवासी सदस्य को किया जा सकता है, जो उस भूमि के पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में रहता है। ऐसा उपायुक्त की अनुमति से किया जा सकता है। सी.एन.टी. अधिनियम की धारा 46 के प्रावधान (बी) के अनुसार अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग उपायुक्त की अनुमति से जिला क्षेत्र में समुदाय के सदस्य को अपनी भूमि हस्तांतरित कर सकते हैं। आदिवासी से गैर आदिवासी को भूमि का हस्तांतरण धारा 49 के तहत केवल उद्योगों या किसी अन्य उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है। ऐसे भूमि हस्तांतरण की अनुमति राजस्व विभाग द्वारा दी जाती है।

**26.** यह स्पष्ट है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, अनुसूचित/गैर-अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले रैयतों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। वैधानिक आदेश के तहत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकार अभिलेख के आधार पर रैयत की जो भूमि है, उसे उनकी आजीविका का स्रोत माना गया है, इसलिए गैर आदिवासी के पक्ष में उक्त भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है, जैसा कि धारा 46 और उसमें निहित अन्य प्रावधानों से स्पष्ट होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

**"46. रैयत द्वारा अपने अधिकार के हस्तांतरण पर प्रतिबंध।** -

1) किसी रैयत द्वारा अपनी जोत या उसके किसी भाग में अपने अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता,-
    i. किसी भी व्यक्त या निहित अवधि के लिए बंधक या पट्टे द्वारा जो किसी भी संभावित घटना में पांच साल हो या पांच से अधिक हो सकती है, या
    ii. बिक्री, उपहार या किसी अन्य अनुबंध या समझौते द्वारा, किसी भी सीमा तक वैध होगा: बशर्ते कि कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी हिस्से को सात वर्ष से अधिक अवधि के लिए 'भुगत बंध' बंधक बना सकता है या यदि बंधककर्ता कोई सोसायटी है जो

बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (बी एंड ओ अधिनियम VI, 1935) के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाती है, अवधि पंद्रह वर्ष से अधिक ना हो:

आगे यह भी प्रावधान है कि, -

**(क)** कोई अधिभोगी रैयत, जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, उपायुक्त की पूर्व स्वीकृति से अपनी होल्डिंग्स या अपनी होल्डिंग्स के किसी भाग को बिक्री, विनिमय, उपहार या वसीयत द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है, जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और जो उस पुलिस थाने के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर का निवासी है, जिसके भीतर वह होल्डिंग्स स्थित है;

**(ख)** कोई अधिभोगी रैयत, जो अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य है, उपायुक्त की पूर्व स्वीकृति से अपनी होल्डिंग्स या अपनी होल्डिंग्स के किसी भाग पर अपना अधिकार बिक्री, विनिमय, उपहार, वसीयत या पट्टे द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है, जो अनुसूचित जाति या, जैसा भी मामला हो, पिछड़े वर्ग का सदस्य है और जो उस जिले की स्थानीय सीमा के भीतर का निवासी है, जिसके भीतर वह होल्डिंग्स स्थित है;

**(ग)** कोई अधिभोगी रैयत अपनी होल्डिंग्स या उसके किसी भाग में अपना अधिकार किसी समिति या बैंक को हस्तांतरित कर सकता है जो बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (बिहार और उड़ीसा अधिनियम VI, 1935) के अंतर्गत पंजीकृत या पंजीकृत मानी गई हो, या भारतीय स्टेट बैंक या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की प्रथम अनुसूची के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट बैंक को या किसी कंपनी या निगम को हस्तांतरित कर सकता है जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के स्वामित्व में हो या जिसमें इक्यावन प्रतिशत से कम शेयर पूंजी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास हो या आंशिक रूप से राज्य सरकार और आंशिक रूप से केंद्र सरकार के पास हो और जिसकी स्थापना किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई हो; और

**(घ)** कोई भी अधिभोगी रैयत, जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य नहीं है, अपनी होल्डिंग्स या उसके किसी भाग में अपना अधिकार बिक्री, विनिमय, उपहार, वसीयत, बंधक या अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है।

2) उपधारा (1) के अधीन किसी रैयत द्वारा अपनी जोत या उसके किसी भाग में अपने अधिकार का हस्तांतरण भूस्वामियों पर बाध्यकारी होगा।

3) उपधारा (1) के उल्लंघन का कोई भी हस्तांतरण पंजीकृत नहीं किया जाएगा या किसी भी न्यायालय द्वारा, चाहे वह सिविल, आपराधिक या राजस्व अधिकारिता का प्रयोग कर रहा हो, किसी भी तरह से वैध नहीं माना जाएगा। [(3-ए) किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, उप-आयुक्त किसी भी होल्डिंग या उसके हिस्से से संबंधित सिविल प्रकृति के सभी वादों में एक आवश्यक पक्षकार होगा, जिसमें वादों के पक्षों में से एक अनुसूचित जनजातियों का सदस्य है और दूसरा पक्ष अनुसूचित जनजातियों का सदस्य नहीं है।

4) अवधि की समाप्ति के पश्चात तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय या जिसके अंतर्गत किसी रैयत ने उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अपनी जोत या उसके किसी भाग पर अपना अधिकार स्थानांतरित किया है, उपायुक्त रैयत के आवेदन पर रैयत को विहित तरीके से ऐसी जोत या भाग पर कब्जा दे देगा।

4-1) **(क)** उपायुक्त स्वप्रेरणा से अथवा किसी अधिभोगी रैयत, जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर, इस आधार पर स्थानांतरण को रद्द करने के लिए कि स्थानांतरण उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के खंड (क) के उल्लंघन में किया गया है, निर्धारित तरीके से जांच कर सकेगा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि स्थानांतरण उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के खंड (क) के उल्लंघन में किया गया है या नहीं:

बशर्ते कि उपायुक्त द्वारा ऐसा कोई आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अधिभोगी-किराएदार द्वारा अपनी जोत या उसके किसी भाग के हस्तांतरण की तारीख से बारह वर्ष की अवधि के भीतर

दायर न किया गया हो: आगे यह भी प्रावधान है कि इस उपधारा के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व उपायुक्त संबंधित पक्षों को मामले में सुनवाई का उचित अवसर देगा। (ख) यदि इस उपधारा के खंड (क) में निर्दिष्ट जांच करने के पश्चात उपायुक्त पाता है कि ऐसा हस्तांतरण करने में उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के खंड (क) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है तो वह आवेदन को अस्वीकार कर देगा और हस्तांतरिती को ऐसे खर्चे दे सकेगा जो वह मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे। (ग) यदि इस उपधारा के खंड (क) में निर्दिष्ट जांच करने के पश्चात् उपायुक्त पाता है कि ऐसा अंतरण उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के खंड (क) के उल्लंघन में किया गया है, तो वह अंतरण को रद्द कर देगा तथा अंतरिती को ऐसी जोत या उसके भाग से, जैसा भी मामला हो, बेदखल कर देगा तथा अंतरक को उस पर कब्जा दे देगा:

बशर्ते कि यदि हस्तान्तरिति ने कोई भवन या संरचना, ऐसी होल्डिंग या उसका कोई भाग निर्मित किया है, तो उप आयुक्त, यदि हस्तान्तरणकर्ता उसका मूल्य अदा करने के लिए तैयार नहीं है, तो हस्तान्तरिति को आदेश की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर या उप आयुक्त द्वारा अनुमत ऐसे विस्तारित समय के भीतर उसे हटाने का आदेश देगा, जो आदेश की तिथि से दो वर्ष से अधिक नहीं होगा, अन्यथा उप आयुक्त ऐसे भवन या संरचना को हटवा सकता है:

बशर्ते कि जहां उप आयुक्त को यह विश्वास हो कि हस्तान्तरिति ने छोटा नागपुर काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1969 (राष्ट्रपति अधिनियम 4, 1969) के लागू होने से पहले ऐसी जोत या उसके भाग पर कोई ठोस संरचना या भवन का निर्माण किया है, तो वह इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, उपधारा (1) के दूसरे प्रावधान के खंड (क) के उल्लंघन में किए गए ऐसे हस्तांतरण को वैध ठहरा सकता है, यदि हस्तान्तरिति हस्तान्तरणकर्ता को, जैसा भी मामला हो, समतुल्य मूल्य का, आस-पास में कोई

वैकल्पिक जोत या जोत का भाग उपलब्ध कराता है या हस्तान्तरणकर्ता के पुनर्वास के लिए उप आयुक्त द्वारा निर्धारित पर्याप्त मुआवजा देता है।

स्पष्टीकरण.- इस धारा में "पर्याप्त संरचना या भवन" से तात्पर्य ऐसी संरचना या भवन से है जिसका मूल्य जांच की तिथि को पांच हजार रुपए से अधिक है, किन्तु इसमें ऐसी संरचना या भवन शामिल नहीं है जिसका मूल्य इतना अधिक हो कि उसकी सामग्री को उसके मूल्य में पर्याप्त ह्रास किए बिना हटाया न जा सके।

5) इस धारा में कोई भी बात छोटा नागपुर प्रमंडल में जनवरी 1908 के पहले 'मानभूम' जिले को छोड़कर या जनवरी 1909 के पहले 'मानभूम' जिले में किसी रैयत की जोत या उसके किसी भाग में उसके अधिकार के किसी हस्तांतरण (या अन्यथा अवैध) की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी।
6) इस धारा में [और धारा 47 में],- (क) "अनुसूचित जाति" का तात्पर्य ऐसी जातियों, नस्लों या जनजातियों से है जो संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के भाग II में निर्दिष्ट हैं; (ख) "अनुसूचित जनजातियों" का तात्पर्य ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भागों या समूहों से है जो संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के भाग II में निर्दिष्ट हैं; और (ग) "पिछड़े वर्ग" का तात्पर्य नागरिकों के ऐसे वर्गों से है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित किया जा सकता है।"

**27.** हालांकि, धारा 46(4) के तहत प्रावधान गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, इसलिए अधिनियम, 1908 की धारा 46(5) के तहत 12 साल के भीतर बहाली के लिए आवेदन दायर करने के लिए सीमा लागू की जानी है। लेकिन, यहां मामला धारा 46(4) का नहीं है क्योंकि भूमि अनुसूचित क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आती है और इसलिए धारा 46 का प्रावधान लागू होगा जो भूमि हस्तांतरण से पहले अनुमति लेना अनिवार्य करता है।

**28.** अन्य प्रावधान अधिनियम, 1908 की धारा 23, 72 और 73 के अंतर्गत हैं।

**29.** धारा 23 उस स्थिति से संबंधित है, जब रैयत की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है, तो उसके नाम पर दर्ज भूमि के संबंध में क्या किया जाना चाहिए। आसान संदर्भ के लिए, अधिनियम, 1908 की धारा 23 को नीचे उद्धृत किया गया है:-

> **"23. मृत्यु पर अधिभोग अधिकार का हस्तांतरण** - यदि किसी रैयत की मृत्यु अधिभोग के अधिकार के संबंध में बिना वसीयत के हो जाती है, तो यह किसी स्थानीय प्रथा के विपरीत होने के अधीन, अन्य अचल संपत्ति के समान ही हस्तांतरित हो जाएगी: बशर्ते कि किसी भी मामले में, जिसमें उत्तराधिकार के कानून के तहत, जिसके अधीन रैयत है, उसकी अन्य संपत्ति सरकार को चली जाती है, तो उसका अधिभोग अधिकार समाप्त हो जाएगा।"

**30.** प्रावधान में यह प्रावधान है कि यदि किसी रैयत की मृत्यु बिना वसीयत के किसी अधिभोग अधिकार के संबंध में हो जाती है, तो वह किसी स्थानीय प्रथा के विपरीत, अन्य अचल संपत्ति के समान ही हस्तांतरित हो जाएगी; परंतु किसी भी मामले में, जिसमें उत्तराधिकार के कानून के तहत, जिसके अधीन रैयत है, उसकी अन्य संपत्ति सरकार को चली जाती है, तो उसका अधिभोग अधिकार समाप्त हो जाएगा।

**31.** धारा 72 उस स्थिति से संबंधित है जब रैयत भूतपूर्व जमींदार के पक्ष में भूमि का समर्पण कर देता है और धारा 73 उस स्थिति से संबंधित है जब रैयत उक्त भूमि का परित्याग कर देता है। लेकिन धारा 72 या धारा 73 के तहत जमींदार पर निहित होने की प्रक्रिया के लिए समर्पण प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, अर्थात भूतपूर्व जमींदार को समर्पण या परित्याग के संबंध में उप आयुक्त को अवगत कराना है, जैसा भी मामला हो।

**32.** इस पर उपायुक्त संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करेंगे और उसके बाद आपत्ति के आधार पर, यदि कोई हो, भूतपूर्व भूस्वामी को अधिकार देने का निर्णय लिया जाएगा, त्वरित संदर्भ के लिए धारा 72 और 73 को इस प्रकार उद्धृत किया जा रहा है:-

> **"72. रैयत द्वारा भूमि का समर्पण -**
> (1) कोई रैयत जो किसी पट्टे या अन्य करार से निश्चित अवधि के लिए आबद्ध नहीं है, किसी कृषि वर्ष के अंत में उपायुक्त की लिखित पूर्व स्वीकृति से अपनी जोत समर्पित कर सकता है।
> (2) लेकिन, समर्पण के बावजूद, रैयत, समर्पण की तारीख से अगले कृषि वर्ष के लिए जोत के किराये की किसी भी हानि के विरुद्ध जमींदार को

क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि वह अपने जमींदार को समर्पण करने से कम से कम चार महीने पहले अपने समर्पण के इरादे की सूचना न दे दे।

(3) रैयत, यदि वह उचित समझे, उस उपायुक्त के न्यायालय के माध्यम से नोटिस तामील करवा सकेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में होल्डिंग या उसका कोई भाग स्थित है।

(4) जब कोई रैयत अपनी जमीन समर्पित कर देता है तो जमींदार उस जमीन पर कब्जा कर सकता है और या तो उसे किसी अन्य काश्तकार को दे सकता है या खुद खेती कर सकता है।

(5) इस धारा में कोई भी बात किसी ऐसी व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगी जिसके तहत रैयत और उसके मकान मालिक उपायुक्त की लिखित पूर्व मंजूरी से पूरी या आंशिक जमीन को सौंपने की व्यवस्था कर सकें।

**"73. रैयत द्वारा भूमि का परित्याग-**

(1) यदि कोई रैयत, जमींदार को सूचना दिए बिना, स्वेच्छा से अपने पास रखी या खेती की गई भूमि को छोड़ देता है और स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उस भूमि पर खेती करना तथा लगान देना बंद कर देता है, तो जमींदार, उस कृषि वर्ष की समाप्ति के पश्चात, जिसमें रैयत ने भूमि को छोड़ दिया है और खेती करना बंद कर दिया है, किसी भी समय उस भूमि पर कब्जा कर सकता है और उसे किसी अन्य काश्तकार को दे सकता है या स्वयं खेती कर सकता है।

(2) इस धारा के अन्तर्गत प्रवेश करने से पूर्व, मकान मालिक निर्धारित तरीके से उपायुक्त को एक नोटिस भेजेगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि उसने जोत को परित्यक्त मान लिया है और वह तदनुसार उसमें प्रवेश करने वाला है; और उपायुक्त निर्धारित तरीके से इस तथ्य की सूचना प्रकाशित करवाएगा और यदि नोटिस के प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर उसके समक्ष कोई आपत्ति की जाती है तो वह संक्षिप्त जांच करेगा और यह निर्णय लेगा कि क्या मकान मालिक उप-धारा (1) के अन्तर्गत जोत में प्रवेश करने का हकदार है। मकान मालिक तब तक जोत में प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि ऐसी आपत्ति का उसके पक्ष में निर्णय न हो जाए, या यदि कोई आपत्ति नहीं की जाती है तो नोटिस के प्रकाशन की तिथि से एक माह की समाप्ति तक।

(3) जब कोई भूस्वामी इस धारा के अंतर्गत प्रवेश करता है, तो रैयत नोटिस के प्रकाशन की तिथि से किसी भी समय भूमि के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए उप-आयुक्त को आवेदन करने का हकदार होगा, जो अधिभोगी रैयत के मामले में तीन वर्ष की अवधि अथवा गैर-अधिभोगी रैयत के मामले में एक

वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं होगा; और उसके पश्चात, उप-आयुक्त यह समाधान हो जाने पर कि रैयत ने स्वेच्छा से अपनी भूमि नहीं छोड़ी है, उसे निर्धारित तरीके से ऐसी शर्तों (यदि कोई हो) पर कब्जा वापस दे सकता है, जिसमें घायल व्यक्ति को मुआवजा देने और बकाया किराये के भुगतान के संबंध में उप-आयुक्त को न्यायोचित प्रतीत हो।

**33.** इन प्रावधानों को संदर्भित करने का कारण यह है कि आत्मसमर्पण या परित्याग के मामले में, ऐसा नहीं है कि केवल इसलिए कि रैयत ने भूमि को आत्मसमर्पण या परित्याग कर दिया है, यह स्वतः ही भूतपूर्व भूस्वामी पर निहित हो जाएगा, बल्कि यह भूतपूर्व भूस्वामी पर तभी निहित होगा जब इसे उपायुक्त के समक्ष लागू किया जाएगा और उपायुक्त, रैयत और स्थानीय लोगों को नोटिस जारी करने के बाद, यदि कोई आपत्ति की जाती है तो उसके अधीन निर्णय लेंगे।

**34.** अन्यथा, यदि भूमि को त्याग दिया गया है या आत्मसमर्पण कर दिया गया है और तीसरे पक्ष के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया है, तो यह अधिनियम, 1908 की धारा 46 (1) के विपरीत होगा, जिसमें कहा गया है कि भूमि के हस्तांतरण से पहले उपायुक्त की आवश्यक अनुमति आवश्यक है, यदि भूमि उसी पुलिस स्टेशन के भीतर स्थित है।

**35.** धारा 23 उस मामले में भूमि के हस्तांतरण से संबंधित है, जहां रैयत की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है। हालांकि, धारा 23 के तहत इस बारे में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है कि भूमि भूतपूर्व भूस्वामी को कैसे सौंपी जाएगी, जैसा कि अधिनियम, 1908 की धारा 72 या धारा 73 के तहत निर्धारित किया गया है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि उपायुक्त को निर्णय लेने की आवश्यकता है।

**36.** लेकिन जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि यदि रैयत की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाने पर भूमि पर अधिकार स्थापित करने के मामले में किसी प्रक्रिया का उल्लेख है, तो वह प्रक्रिया क्या होगी और क्या वह पूर्व भूस्वामी को बिना वसीयत के मृत्यु के तुरंत बाद अधिकार प्रदान कर दी जाएगी।

**37.** हम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के उद्देश्य और मंशा को ध्यान में रखते हुए इस मत के हैं, जिसका प्राथमिक उद्देश्य छोटा नागपुर क्षेत्र के अनुसूचित या गैर-अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा करना है।

**38.** उपरोक्त कारणों से उपायुक्त को आवश्यक पक्ष बनाया गया है ताकि उपायुक्त पीड़ित या कार्यवाही के अन्य पक्ष की सुनवाई के लिए रैयत के हितों की रक्षा कर सकें, क्योंकि छोटा नागपुर क्षेत्र के अनुसूचित या गैर अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले रैयत को आदिवासी क्षेत्र का निवासी होने के कारण कानूनी रूप से सक्षम नहीं माना गया है।

**39.** अधिनियम, 1908 की धारा 23 में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है कि रैयत की मृत्यु होने पर भूमि अन्य अचल संपत्ति की तरह ही हस्तांतरित हो जाएगी, बशर्ते कि किसी भी मामले में यदि रैयत उत्तराधिकार कानून के अधीन है और उसकी अन्य संपत्ति सरकार के पास चली जाती है, तो उसके कब्जे का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

**40.** छोटा नागपुर अधिनियम, 1908 के अधिनियमन के समय पुनर्स्थापना का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था और उपर्युक्त मुद्दे पर विचार करते हुए, अनुसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1969 अधिनियमित किया गया है, जिसमें धारा 71 ए के तहत प्रावधान भी शामिल है, जिसके तहत उपायुक्त को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि किसी भी समय उपायुक्त के संज्ञान में यह बात आती है कि किसी रैयत, जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, की भूमि का हस्तांतरण धारा 46 या धारा 48 या धारा 240 या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन में या किसी धोखाधड़ी तरीके से हुआ है, तो वह हस्तांतरिती को कारण बताने के लिए उचित अवसर देने और मामले में आवश्यक जांच करने के बाद, मुआवजे का भुगतान किए बिना हस्तांतरिती को ऐसी भूमि से बेदखल कर सकता है और इसे हस्तांतरितकर्ता या उसके उत्तराधिकारी को वापस कर सकता है। या, यदि हस्तान्तरणकर्ता या उसका उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं है या ऐसी पुनर्स्थापना के लिए सहमत नहीं है, तो परित्यक्त जोत के निपटान के लिए गांव की प्रथा के अनुसार अनुसूचित जनजाति के किसी अन्य रैयत के साथ इसे पुनः व्यवस्थित करें। त्वरित संदर्भ के लिए, धारा 71 ए को इस प्रकार उद्धृत किया जा रहा है:-

> **"71ए. अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि पर कब्जा वापस दिलाने की शक्ति** - यदि किसी भी समय उपायुक्त के संज्ञान में यह बात आती है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य किसी रैयत [या मुंडारी खूंट कट्टीदार या भुइंहारी] की भूमि का हस्तांतरण धारा 46 [या धारा

48 या धारा 240] या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करके या किसी धोखाधड़ी तरीके से [जिसमें धोखाधड़ी और मिलीभगत से प्राप्त डिक्री भी शामिल है] हुआ है, तो वह बेदखल किए जाने वाले हस्तांतरिती को कारण बताने का उचित अवसर देने और मामले में आवश्यक जांच करने के बाद, मुआवजा दिए बिना हस्तांतरिती को ऐसी भूमि से बेदखल कर सकता है और उसे हस्तांतरितकर्ता या उसके उत्तराधिकारी को वापस कर सकता है, या यदि हस्तांतरितकर्ता या उसका उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं है या ऐसी बहाली के लिए सहमत नहीं है, तो अनुसूचित जनजाति के किसी अन्य रैयत के साथ उस भूमि को फिर से बसा सकता है। परित्यक्त भूमि के निपटान के लिए गांव की प्रथा।"

**41.** धारा 71 ए का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की प्रक्रिया के उल्लंघन के मामले में, यदि भूमि हस्तांतरित की गई है, तो उसे रैयत के पक्ष में इस शर्त के अधीन बहाल किया जाना है कि आवेदन उचित अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सीटू साहू और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य 2004 (4) जेसीआर एससी 211** के मामले में व्याख्या की है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सीएनटी अधिनियम की धारा 71 ए के तहत, यह निर्धारित किया गया है कि भूमि की बहाली के लिए आवेदन उचित समय के भीतर दायर किया जा सकता है।

**42.** आधार यह लिया गया है कि अधिनियम, 1908 की धारा 23 के प्रावधान के मद्देनजर, भूमि पूर्व जमींदार के पास निहित है, इसलिए वह पूर्ण शीर्षक धारक बन गया, इसके बाद, इसे परमेश्वर मिसिर के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया।

**43.** अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन भूमि पर स्वामित्व स्थापित करने और उसे ग्रहण करने से पूर्व कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, बल्कि अपीलकर्ता का मामला यह है कि अधिनियम, 1908 की धारा 23 के प्रावधान के मद्देनजर भूमि निहित हो गई है और इसलिए वह स्वामित्व धारक बन गया है।

**44.** लेकिन, सवाल यह है कि यदि अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित/गैर-अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले रैयत के हितों की रक्षा करना है और अधिनियम, 1908 की धारा 46 या धारा 72 या धारा 73 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है, तो अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क को स्वीकार करते हुए कि चूंकि रैयत की मृत्यु बिना वसीयत के हुई

है, इसलिए भूमि स्वतः ही भूतपूर्व भूस्वामी के पास निहित हो जाएगी, स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि ऐसी स्थिति में भूमि भूतपूर्व भूस्वामी के पास निहित कही जाएगी, तो अधिनियम, 1908 का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति हो सकती है कि रैयत की मृत्यु बिना वसीयत के हुई हो, लेकिन परिवार में कानूनी उत्तराधिकारी हो सकते हैं, इसलिए निहित करने से पहले, धारा 23 के प्रावधान के मद्देनजर, उक्त तथ्य को उपायुक्त के संज्ञान में लाने की आवश्यकता होगी, ताकि रैयत की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाने पर भूतपूर्व जमींदार को निहित करने का निर्णय लेने से पहले उचित प्रक्रिया जारी की जा सके।

**45.** अधिनियम, 1908 की धारा 23 के प्रावधान में केवल यह प्रावधान है कि यदि किसी रैयत की किसी अधिभोग के अधिकार के संबंध में बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है, तो वह किसी स्थानीय प्रथा के विपरीत होते हुए, अन्य अचल संपत्ति के समान ही हस्तांतरित हो जाएगी; बशर्ते कि किसी भी मामले में, जिसमें उत्तराधिकार के कानून के तहत, जिसके अधीन रैयत है, उसकी अन्य संपत्ति सरकार को चली जाती है, तो उसका अधिभोग का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

**46.** इस प्रकार, उपर्युक्त प्रावधान एक ऐसा मामला प्रदान करता है जहां रैयत के परिवार में कोई नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में भूमि राज्य सरकार को चली जाएगी।

**47.** धारा 23 से संकेत मिलता है कि विधानमंडल ने यह विचार किया कि अधिभोग का अधिकार रखने वाले रैयत की मृत्यु उस अधिकार के संबंध में वसीयतकर्ता या निर्वसीयत के रूप में हुई होगी। वास्तव में इसका तात्पर्य यह है कि यह अधिकार न केवल संपत्ति है, बल्कि अचल संपत्ति भी है और यह भी सुझाव देता है कि सामान्य कानून लागू होता है जिसके तहत मालिक किसी स्थानीय प्रथा के अधीन वसीयत द्वारा इसका निपटान करने का हकदार है।

**48.** इसलिए, यह सुझाव देता है कि यदि अधिभोगी रैयत की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है तो क्या स्थिति होगी। सामान्य कानून के अनुसार, मालिक किसी स्थानीय रीति-रिवाज के अधीन वसीयत द्वारा इसे निपटाने का हकदार होगा।

**49.** इसमें अधिनियम, 1908 की धारा 23 की प्रयोज्यता के संबंध में तर्क इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि अधिभोगी रैयत की मृत्यु बिना वसीयत के हो गई थी, इसलिए भूमि जमींदार में निहित थी।

**50.** लेकिन, अगर धारा 23 को देखा जाए तो इसमें यह नहीं कहा गया है कि अधिभोगी रैयत की मृत्यु की स्थिति में भूमि स्वतः ही भूस्वामी के पास चली जाएगी, बल्कि सामान्य कानून लागू होता है जिसके तहत स्वामी को संपत्ति/अचल संपत्ति का निपटान करने का अधिकार है।

**51.** अतः मामले के तथ्यों को देखते हुए यह ऐसा मामला नहीं है जहां अधिनियम, 1908 की धारा 23 लागू होने योग्य कही जा सके।

**52.** यहाँ, मामले के दिए गए तथ्यों में, निजी प्रतिवादी मूल रैयत होने का दावा कर रहे हैं और यह मामला शुरू से ही था। कारण बताओ पूछा गया था और अपीलकर्ता द्वारा जवाब दिया गया था, लेकिन इसके सबूत के तौर पर मूल अधिकारी के समक्ष कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि लोकस को चुनौती देने का आधार लिया गया है।

**53.** विशेष अधिकारी, एस.ए.आर. ने उक्त तर्क पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि सक्षम प्राधिकारी अर्थात उप आयुक्त द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है, और इसलिए उक्त आधार को खारिज कर दिया गया।

**54.** जैसा कि हमने ऊपर देखा है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के विभिन्न प्रावधानों और उद्देश्य और मंशा के आधार पर, उपायुक्त के निर्णय की अनुपस्थिति के बारे में विशेष अधिकारी, एस.ए.आर के उक्त निष्कर्ष को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के उद्देश्य और मंशा को प्राप्त करने के लिए त्रुटि से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है।

**55.** अन्य आधारों पर राजस्व अधिकारियों द्वारा विचार किया गया है, अर्थात् सीमा का आधार जो अपीलीय प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद समय के भीतर पाया गया है।

**56.** हालांकि, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि भूमि का निपटान वर्ष 1942 में किया गया था, जो सीमा अवधि से परे है, लेकिन वर्ष 1982 में निष्पादित

हस्तांतरण विलेख को छोड़कर कोई भी दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। इसलिए, राजस्व अधिकारियों ने हस्तांतरण विलेख को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हुए हस्तांतरण की तारीख को बेदखली की तारीख माना है।

**57.** पंजीकरण विलेख की तिथि से हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए 30 वर्ष के भीतर पुनर्स्थापना आवेदन दायर किया गया है।

**58.** तदनुसार, हमारा विचार है कि सीमा के संबंध में उपर्युक्त निष्कर्ष को त्रुटि से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है।

**59.** इस न्यायालय ने तथ्यात्मक पहलू और कानूनी स्थिति पर चर्चा करने और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर वापस आते हुए पाया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने तत्काल मामले में शामिल प्रत्येक मुद्दे पर विचार किया है, जो इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार लागू कानून पर आधारित है।

**60.** उपर्युक्त चर्चाओं के मद्देनजर, इस न्यायालय का विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

**61.** तदनुसार, तत्काल अपील में कोई योग्यता नहीं है और तदनुसार उसे खारिज किया जाता है।

**62.** परिणामस्वरूप, लंबित अंतरिम आवेदन भी खारिज हो गए।

**सहमत** **(न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद)**

**(न्यायमूर्ति नवनीत कुमार)** **(न्यायमूर्ति नवनीत कुमार)**

बीरेंद्र/ए.एफ.आर.

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।